राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग

क्रमांक प. 6(7)शिक्षा/ग्रुप–3/2018

जयपुर, दिनांकः 6 JUL 2018

F.D. No. 902 PS/CCE/
Dated 10-7-18

–: आदेश :–

माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान द्वारा दिनांक 31 मई 2018 को बांसवाड़ा जिले के भ्रमण के दौरान की गई घोषणा **"बांसवाड़ा कॉलेज में कृषि संकाय प्रारम्भ कराया जायेगा"** की क्रियान्विति में राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा में कृषि संकाय प्रारम्भ किये जाने हेतु निम्नलिखित बजट मद के अन्तर्गत 08 नवीन पदों के सृजन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:–

मांग संख्या–24 बजट मद–2202–03–796–01
राजकीय महाविद्यालय (जनजाति क्षेत्र के लिये) राज्य निधि

क्र.सं.	नवीन पद	पदनाम
1	सह आचार्य	03
2	प्रयोगशाला सहायक	03
3	प्रयोगशाला वाहक	01
4	कनिष्ठ सहायक	01
	योग	08

उक्त क्रम में आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा को यह परामर्श दिया जाता है कि कृषि संकाय हेतु आगामी शैक्षणिक वर्ष हेतु आवश्यकतानुसार पदों की मांग बीएफसी के यथा समय की जावें।

उक्त नवीन पदो के सृजन के स्वरूप आवृत्तक क एवं अनावृत्तक व्यय हेतु वित्तीय प्रावधान स्वीकृति के प्रस्ताव के सम्बन्ध में आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा को परामर्श प्रदान किया जाता है कि आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा उक्तानुसार नवीन पदो के सृजन के फलस्वरूप होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018–19 के संबंधित बजट मद में उपलब्ध प्रावधान से करावें एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु आवश्यक राशि का आंकलन कर प्रस्ताव बीएफसी वर्ष 2019–20 एवं संशोधित अनुमान 2018–19 के यथा समय प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करावें।

यह स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 101803810 दिनांक 05.07.2018 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मूल चन्द)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 महालेखाकार, लेखा एव हक, राजस्थान, जयपुर।
2 संयुक्त शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
3 विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–1) विभाग।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
7. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग।
8. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर को उनकी पत्रावली क्रमांक एफ 04( ) आयो/आकाशि/CMIS/18–19 मय नोटशीट के ।
09 संयुक्त सचिव, शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग।
10 सम्बन्धित कुल सचिव, मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर।
11. वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
12 प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, बांसवाड़ा।
13 रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

Room No. 1205, Main Building, Secretariat Jaipur-302005 ईमेल–higheredu3rajasthan@gov.in दूरभाष–0141–5153223, 5153660(आई.पी.–नं.24870)

राजस्थान सरकार
शिक्षा विभाग

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमॉक : एफ 20 (101/13) आयो/आकाशि/18–19/ 73 दिनांक : 11 जुलाई, 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर ।
2. संयुक्त शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप–3)विभाग,राजस्थान,जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर ।
4. संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय–1) विभाग राजस्थान जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त निदेशक (एच.आर.डी./प्रशासन) – कृपया राजकीय महाविद्यालय, बांसवाड़ा में कृषि संकाय में स्वीकृत पदों को भरने तथा कार्यव्यवस्थार्थ वैकल्पिक व्यवस्था करना सुनिश्चित करें।
7. संयुक्त निदेशक (अकादमी)– राजकीय महाविद्यालय, बांसवाड़ा में कृषि संकाय में शैक्षणिकसत्र 2018–19 में प्रवेश की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
8. कुलसचिव, मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर–कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदया की घोषणा की अनुपालना में राजकीय महाविद्यालय, बांसवाड़ा में कृषि संकाय की सम्बद्धता बिना विलम्ब शुल्क के जारी करवाने का कष्ट करें।
9. जिला कलक्टर, बांसवाड़ा।
10. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, बांसवाड़ा ।
11. वेब प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को अपलोड करने हेतु।

(डॉ. दिलीप गोयल)
संयुक्त निदेशक (आयोजना)